न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-24/2016

बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढेवा की ढाणी ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू [राज0]

---अपीलान्ट---

----बनाम----

1- जिला कलेक्टर झुन्झुनू ।

2- सरपंच ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू [राज0]

--रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर झुन्झुनू निर्णय दि0 3-6-2015

--0--

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री कमलेश एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 11.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत ने आदेश क्रमांक 1900-05 दिनांक 9-5-2015 के द्वारा भूमि खसरा नं0 129 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.40 हैक्टर भूमि नवसृजित ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी के पंचायत भवन हेतु पूर्व में आंवटित की गई भूमि के आंवटन आदेश को निरस्त कर ग्राम ढेवा की ढाणी स्थित उपलब्ध आबादी भूमि में से नियमानुसार नवसृजित ग्रामपंचायत ढेवा की ढाणी के पंचायत भवन हेतु पटटा जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे । इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 9-5-15 को निरस्त किया जाता है

है ।तथा ग्राम ढेवा की ढाणी स्थित भूमि ख0नं0 1102/129 रकबा 7.40 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम- 1963 में वर्णित शर्तों पर एवं उपबंधों के अधीन नवसृजित ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी के कार्यालय भवन हेतु ग्राम पंचायत को निःशुल्क आवंटन की गई ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्ध है । अदालत मातहत ने अपने ही आदेश को दिनांक 9-5-2015 को खारिज कर पुनः नया आदेश जारी कर गै0मु0 जोहड स्थित ग्राम ढेवा की ढाणी को पंचायत भवन बनाने हेतु आवटित की जो गैर कानूनी है । आराजी ख0नं0 1102/129 गै0मु0 जोहड़ की भूमि है जिसकी किस्म सरपच व पटवारी ने मिलकर गै0मु0 जोहड से बिना किसी राजस्व न्यायालय के आदेश से गै0मु0 चारागाह दर्ज करके भूमि का आवटन करवाया है।अपीलान्ट के अलावा गाव के बहुतसारे लोग खसरा नम्बर 1102/129 जो पिरावाला जोहड के नाम से जाना जाता है उसमे अपने पशु पीढियो से चराते आ रहे है । अदालत मातहत के आदेश से अपीलान्ट एव अन्य गाव के लोगेा को उनके इस आराजी मे पशु चराने से गैरकानूनी रूप से रोका जा रहा है ।जबकि कानूनन गै0मु0 जोहड की भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु आवटित नही किया जा सकता । जिस कारण भी यह आदेश खारिज किये जाने योग्य है। नक्शा ट्रेस मे भूमि ख0नं0 1105/129 आवटन वाली भूमि दर्शायी गई है जबकि आदेश खसरा न0- 1102/129 की भूमि मे दिया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश विधि एव कानून के विपरित । गै0मु0 जोहड की भूमि अन्य प्रयोजन हेतु आवटित नहीं की जा सकती। इसके बाद भी योग्य अदालत मातहत मे बिना किसी आधार के अपना आदेश पारित कर जोहड की आराजी को आवटित कर अपना आदेश गैरकानूनी रूप से पारित किया है । ग्राम पचायत भवन बनाने के लिये ग्राम पचायत ढेवा की ढाणी मे पर्याप्त जगह मौजूद है जिसमे पचायत भवन आसानी से बनाया जा सकता है ।किन्तु पटवारी व सरपच ने मिलीभगत करके गै0मु0 जोहड मे नया आदेश जिला कलेक्टर

करने स पूर्व तहसीलदार अथवा अन्य अधिनस्थत अधिकारियों से ग्राम ढेवा की ढाणी मे आबादी भूमि की उपलब्धता के बाबत रिपोर्ट मंगवाई जाकर ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने मौके पर बिना कोई रिपोर्ट मंगाये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अन्य आराजी मे से आराजी पचायत भवन के लिये आवटित की जानी चाहिये थी किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून एव गैर कानूनी है ।गै0मु0 जोहड की भूमि मे से पटटा किसी अन्य प्रयोजन के लिये कानूनन नही दिया जा सकता ।इस आदेश की अपीलान्ट को जानकारी 31-3-16 को हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आवटन आदेश दिनाक 3-6-2015 खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना आदेश ग्राम पचायत भवन के निर्माण के लिये गै0मु0 जोहड की भूमि मे निःशुल्क पटटा जारी कर नवसृजित पचायत के लिये पचायत भवन हेतु आराजी का आवटन किया है वह आवटन आदेश गै0मु0 जोहड की भूमि मे से किया है जबकि कानूनन गै0मु0 जोहड की भूमि मे से किसी अन्य प्रयोजनार्थ भूमि का आवटन कानूनन नही किया जा सकता । ग्राम ढेवा की ढाणी में आबादी भूमि उपलब्ध है और जब आबादी भूमि उपलब्ध है तो ऐसी परिस्थिति मे गै0मु0 जोहड की भूमि मे से आराजी का अन्य प्रयोजनार्थ भूमि का आवटन नहीं किया जा सकता ।अदालत मातहत को आवटन आदेश

पारित करने से पूर्व तहसीलदार अथवा अधिनस्थित अधिकारियों से आबादी भूमि के बाबत रिपोर्ट लेकर और आबादी भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति मे ही गै0मु0 जोहड मे से आराजी का आवटन उस स्थिति मे किया जाता जब अति आव.यक होता ।अदालत मातहत ने अपना आदे.श आनन फानन मे बिना जाच किये पारित किया है । अतः अदालत मातहत का आदे.श निरस्त किया जावे। तथा प्रार्थीगिण बाबूलाल आदि को अपील मे पक्षकार बनाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत का आदे.श विधि सगत है । आवटन से पूर्व मौके की जांच करवाई गई है ।जो आराजी आंवटन की गई है वह पानी के बहाव क्षेत्र में नहीं है ।यह मौके की जांच आने के बाद ही आदेश पारित किया गया ।मौके पर पंचायत भवन बनकर तैयार है राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ है ।उसे केवल अपीलान्ट के कहने मात्र से निरस्त नहीं किया जा सकता । प्रार्थी बाबूलाल वगैहरने जो पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया है वह वेग है प्रकरण में जिला कलेक्टर पक्षकार है जो राज्य सरकार की ओर से पैरवी करता है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र आदेश-। नियम-10 सीपीसी के बाबत आदेश दिया जाना उचित मानते हैं ।प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगिण ने अपनाहित निहित बताकर यह प्रा0 पत्र पेश किया है । विवादित आराजी राजकीय भूमि है ।अपील में सरकार के हितों की रक्षा के लिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू पक्षकार है जो जनहित के लिये भी प्रकरण में पैरवी करते हैं । अलग से प्रार्थीगिण को पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं मानते । इस कारण प्रार्थना पत्र आदेश-। नियम-10 सीपीसी खारिज किया जाता है। तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का निर्णय भी किसी कानूनी बिन्दू पर न कर अपील को अन्दर मियाद शुमा किया जाता है ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर जमाबन्दी सं0-2068 से 2071 में खसरा नं0 1102/129 रकबा 7.40 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर का ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटन के बाद नामान्तरकरण सं0- 275 से जमाबन्दी नोट दर्ज किया गया है । दिनांक 7-11-2017 को उप खण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक 1612 के द्वारा जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है । जिसमें वर्तमान में निर्माणाधीन पंचायत भवन जोहड के कैचमेन्ट में आता है या नहीं की जांच हेतु एक कमेटी गठीत की जिसमें श्री दुर्गाप्रसाद मीणा उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ, 2-श्री हरीराम सैनी सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग झुन्झुनू एवं3- श्री विश्वनाथ सहायक लेखाधिकारी जिला परिषद(ग्रा0वि0प्रा0)झुन्झुनू ने दिनांक 3-11-17 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के साथ मौका मुआयना किया। तालाब व आस पास के क्षेत्र के लेवल लिये गये । निर्माणाधीन भवन तालाब से मात्र 62 मीटर की दूरी पर है। तालाब से परसरामपुरा सडक तक आता है तथा तालाब से इन्द्रपुरा सडक तक लेवल लिये गये जो कि तालब से सडक की ओर जाते हुए बढते हुये पाये गये।अतः निर्माणाधीन ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी का भवन स्पष्ट रूप से तालब के कैचमेन्ट क्षेत्र में आता है जो तालाब के प्रवाह को प्रभावित नहीं करता है।पत्रावली का अवलोकन करने पर आया उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ने अपनी रिपोर्ट में भवन निर्माणाधीन बताया है। तथा विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बहस में स्पष्ट किया कि भवन बनकर तैयार है। जिस पर अपीलान्ट ने कोई जबाब नहीं दिया । अर्थात उप खण्ड अधिकारी नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माणाधीन है तथा यह रिपोर्ट दिनाक 3-11-2017 की है जिसको लग-भग करीब 7 माह का समय निकल चुका । जिससे स्पष्ट है भवन तैयार हो चुका है और मुताबिक रिपोर्ट यह भवन पानी के बहाव क्षेत्र में नहीं आता है । अदालत मातहत ने अपना आदेश समस्त तथ्यों की जांच करने के बाद दिया है जिसमें ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी में पंचायत भवन बनकर तैयार हो चुका है।

प्रकरण के तथ्यों पर मनन करने के बाद हम अदालत मातहत के आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का आदेश दिनांक 3-6-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.7.2018 को सुनाया गया।

11/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर